(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 787--चार/2001 – विरूद्ध आदेश दिनांक 11–1–2001 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 66/1998–99 अपील

1– रामगोपाल पुत्र सुखलाल लोधे
2– चौधरी सिंह (मृतक) पुत्र गनपत सिंह
वारिस
श्रीमती त्रिवेणी पत्नि स्व.चौधरी सिंह
निवासीगण ग्राम सिरमिति तहसील
एंव जिला मुरैना मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव)

आ दे श

(दिनांक 1– 2– 2016 को पारित)

अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 66/1998–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–1–2001 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सिरमिति स्थित भूमि सर्वे नबर 466 रकबा 3 वीघा पर आवेदकगण को वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान की गई। परन्तु वर्ष 1990-91 तक आवेदकगण ने उक्तांकित भूमि पर वृक्षारोपण न करके गेहूँ की फसल करना पाया गया । परिणामतः नायव तहसीलदार मुरैना ने आवेदकगण के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 25/1990-91 बी 121 पंजीबद्ध किया एंव कारण बताओ नोटिस जारी किया। आवेदकगण व्दारा लेखी उत्तर प्रस्तुत करते हुये बचाव किया। नायव तहसीलदार ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 24-7-1991 पारित किया एंव आवेदकगण को दी गई वृक्षारोपण अनुमति निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 36/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 19-1-99 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 66/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-1-2001 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसील न्यायालय में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है एंव मौके की जांच नहीं की गई है। विचाराधीन भूमि पर वृक्ष लगे हुये है परन्तु मौके पर वृक्ष न लगे मानना मनमानी है। आवेदकगण ने वृक्षारोपण हेतु दिये गये पटटे का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की।

अनावेदक के पैनल लायर का तर्क है कि मौके पर जांच की गई है जिसमें पाया गया है कि वृक्षारोपण अनुमति लेने के वाद

आवेदकगण मौके पर वृक्षारोपण न करके खेती कर रहे हैं उन्होंने पटटे की शर्तो का उल्लंघन किया है इसलिये तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष सही है अतः निगरानी निरस्त की जावे।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि मौके पर राजस्व निरीक्षक ने पटवारी के साथ जाकर ग्राम सिरमिति की भूमि सर्वे नबर 466 रकबा 3 वीघा की जॉच की है एंव दिनांक 14-4-1991 को प्रतिवेदन दिया है कि इस भूमि को दोनों आवेदकों ने दो भागों में विभाजित कर लिया है एंव मौके पर गेहूँ की फसल खड़ी है। जहॉ तक आवेदकगण को नायव तहसीलदार व्दारा सुनवाई का अवसर न देने संबंधी दिये गये तर्क का प्रश्न है ? तहसील न्यायालय में आवेदकगण ने अभिभाषक श्री अजमेर सिंह यादव के माध्यम से उपस्थित रहकर पैरबी की है जिसके कारण यह नहीं माना जा सकता कि नायव तहसीलदार ने आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से पाया गया कि उनके व्दारा आदेशों में दिये गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 66/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-1-2001 विधिवत् पाने के कारण यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर